कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांकः /जि0यो0–7/प्र0वि0स्वी0/2024–25 दिनांकः 15 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के कम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतिया निर्गत किये जाने के कम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या – 07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रू0, अनुदान संख्या – 30 एस0सी0पी0 हेतु 1712.40 लाख रू0 तथा अनुदान संख्या – 31 टी0एस0पी0 हेतु 425.70 लाख रू0 इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रू0 अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

राजकीय सिंचाई विभाग पिथौरागढ़ का जि0यो0 2024–25 हेतु अनुमोदित परिव्यय रू0 230.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त में 153.00 लाख रू0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत कार्यालय पत्रांक 253/12.08.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। द्वितीय किस्त हेतु धनराशि 77.00 लाख रू0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है –

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	मद/कार्य का नाम	2024–25 हेतु अनुमोदित परिव्यय	वर्ष 2024–25 हेतु प्रथम किस्त में निर्गत धनराशि	वर्ष 2024–25 हेतु द्वितीय किस्त में आवंटित धनराशि			
				सामान्य	एस0सी0पी0	टी0एस0पी0	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चालू नव नहर निर्माण कार्य सं0 02	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	चालू नहर जीर्णोद्धार के कार्य /अन्य कार्य सं0 15	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अनावासीय भवन कार्य सं0 01	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
4	नये नहर/अन्य कार्य सं0 27	169.26	100.26	30.85	38.15	0.00	69.00
	योग–	**230.00**	**153.00**	**38.85**	**38.15**	0.00	**77.00**

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में जिला योजना वर्ष 2024–25 के उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनाँक 24.03.2008 व सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू0 77.00 लाख (सतहत्तर लाख रूपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

2– उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।

3– स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4– जिन कार्यो का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यो पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।

5– उक्त धरनाशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्वता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6– प्रश्नगत कार्यो के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यो पर व्यय किया जायेगा।

7– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया मे अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

8– इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

9–उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।

10–सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व–पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

कमशः 2

11– जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।

12– उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

13– जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

14– किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।

16– स्वीकृत कराये जा रहे कार्यो के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17– जिन कार्यो को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यो में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यो की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

18– विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये है।

19– उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।

20– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के कियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

21– अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22– अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरषः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई पिथौरागढ़ की होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 734/जि0यो0–7/प्रा0वि0स्वी0/2024–25 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि :– **निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1.अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई पिथौरागढ़।
2.मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
3.अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
4.उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5.निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6.मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– **सूचनार्थ प्रेषित।**

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।